

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023—वैशाख 1, शक 1945

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित-2013) की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 के निहित प्रावधान अनुसार, राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्यों में से निर्वाचित किए गए डॉ. सनवर पटेल, जिला उज्जैन को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. नामदेव, उपसचिव.